

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- सर्वश्री विधी इन्टरप्राइजेज, 78/ 205, लाटूश रोड, कानपुर ।
प्रा0प0सं0:- 329 /2008
प्रार्थी की ओर से श्री मोहन सिंह, अधिवक्ता

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24-7-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें **Sprinkler** के निम्न एसेसरीज व पार्ट्स पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है :-

- (1) **Sprinkler Tees & Bands**
- (2) **Sprinkler End & Caps**
- (3) **Sprinkler couplers, clamps and rubber rings**
- (4) **Sprinkler reducers**
- (5) **Connecting nipples**
- (6) **Sprinkler pipes of H.D. P. E . with coupler**

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री मोहन सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुए व बताया कि शिडयूल-1 के क्रमांक -1 (A) में **Sprinkler** का एग्रीकल्चर इम्पीलिमेन्ट्स के रूप में उल्लेख है व क्रमांक-1 पर एग्रीकल्चर इक्विपमेन्ट में स्पेयर पार्ट्स व एसेसरीज का भी उल्लेख है अतः उक्त एसेसरीज व स्पेयर पार्ट्स शिडयूल-1 के अन्तर्गत करमुक्त होना चाहिए ।

3- मैंने धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का अवलोकन किया । शिडयूल-1 के क्रमांक-1 में एग्रीकल्चर इम्पीलिमेन्ट्स का उल्लेख है व क्रमांक-1 (A) में एग्रीकल्चर इम्पीलिमेन्ट्स के अन्तर्गत **Sprinkler** को सम्मिलित किया गया है अतः **Sprinkler** के उपरोक्त पार्ट्स पर शिडयूल-1 के अन्तर्गत कोई करदेयता नहीं है ।

4- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक:: सितम्बर 18 2008

ह0 18-9-2008

(दीपक कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

ce